ISSN: 0973-0583

कस्तूरबा गाँधी विद्यालय-नारी शिक्षा में एक सार्थक कदम

कुमार रंजन
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार
प्रो० अभय कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, आर.एन. कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली

सार

वर्तमान में कस्तूरबा गॉधी विद्यालय योजना में विस्तार करते हुए 1 अप्रैल 2008 से उन ग्रामीण प्रखण्डों में कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों को खोला जाने का प्रावधान रखा गया है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है। इसके साथ ही उन शहरी क्षेत्रों में भी विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। जहाँ अल्पसंख्यक महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय दर तथा जहाँ स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन दर भी कम है अर्थात जहाँ यें स्कूलों से बाहर है। इस योजना के तहत् 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिचित किया गया है जिसमें 25 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग की अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए है एवं 25 प्रतिशत उन बालिकाओं के लिए सुरक्षित है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों से सम्बन्धित है। भारत सरकार द्वारा सन् 2018-2019 तक 4432 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय संचालित किये जा चुके हैं एवं 166 विद्यालयों को प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रगति में हैं। अभी तक इन विद्यालयों में 26146 बालिकाओं का नामांकन कराया गया है जिसमें 105192 (30.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 89764 (24.77 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 93843 (26. 33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 72,666 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएँ अध्ययनरत है। (स्त्रोत-स्टेट कम्पोनैन्ट प्लान फार ए.डब्लू.पी और बी. 2020-2021)। अध्ययन करने वाली सभी छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ छात्रवृत्ति, पुस्तकें, जूते, भोजन एवं आवश्यकता व सुरक्षा की सभी सुविधाएँ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। (सर्व शिक्षा अभियान मिशन)

शब्द कुँजी: नारी शिक्षा, कस्तूरबा गॉधी विद्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग

कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा 2003-2004 में बनाई गई और जुलाई 2004 में इस योजना को 24 राज्यों में लागू किया गया। प्रारम्भ में इस योजना को राष्ट्रीय बालिका प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या तथा सर्व शिक्षा अभियान के सम्मिलित प्रयासों के साथ संचालित किया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2007 को इसे सर्वशिक्षा अभियान के साथ संलग्न कर अलग योजना के रूप में भारत के 26 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, अरूणांचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, दादर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मनीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व पश्चिम बंगाल) मे संचालित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएँ हैं। इसके साथ ही इस योजना प्रखण्डों में संचालित किये जाने का प्रावधान रखा गया है। जिनका साक्षरता स्तर विशेषत: महिला साक्षरता दर (वर्ष 2001 की जनगणना) राष्ट्रीय साक्षरता दर 46. 13 से कम है, तथा पुरूष-महिला साक्षरता दर का अंतरराष्ट्रीय पुरुष-महिला साक्षरता दर 21.59 प्रतिशत अन्तर से अधिक है।

कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों के सफल संचालन हेतु भौतिक, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था

भी सुनिश्चित की गयी है। कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में वित्तीय,भौतिक संसाधन केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य बराबर की साझेदारी से उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के तहत इन विद्यालयों को तीन प्रतिरूपों में प्रस्तुत किया गया है। बालिकाओं के रख रखाव, छात्रवृत्ति, अतिरिक्त शिक्षण सहायक सामग्री, कागज कलम, लेखन सामग्री, परीक्षा शुल्क, शिक्षकों, वार्डन, भोजन माताओं का वेतन और अन्य सहायकों का वेतन, मेडिकल सुविधा, स्कूल कार्यक्रम, कैम्प आदि सम्मिलित हैं। अगर बालिकाओं की संख्या 100 से ज्यादा होती है तो आर.टी.ई. मानको के आधार पर शिक्षकों, प्रधानाध्यापिका आदि की व्यवस्था का भी प्रावधान है। जिसमें स्कूल, छात्रावास की चारदीवारी, बिजली का बिल, पीने का पानी, सफाई आदि कार्य किये जाते हैं। कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक विषमता दूर करके कमजोर वर्ग की उन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो कतिपय कारणों से प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। ऐसी सभी बालिकाओं को इन विद्यालयों में नामांकन के साथ-साथ ठहराव हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगींण विकास करना है। उपरोक्त विवरण इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कमजोर वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालयों की स्थापना एक सार्थक कदम है। कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कर साक्षरता अंतर दर को समाप्त करना है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के स्थापना का उद्देश्यः

- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों लिंग में लिंग विवेदीकरण को समाप्त करके लड़का-लड़की एक समान की अवधारणा विकसित कराना।
- प्राथमिक स्तर के बाद ड्राप-आउट करने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश देकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं के विद्यालय के नामांकन में व्याप्त अंतर को समाप्त करना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।

पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अभिभावकों के बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराना।

इन विद्यालयों में तीन मॉडल तय किए गए हैं

- मॉडल 1 में 100 बालिकाओं का नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- मॉडल 2 में 50 बालिकाओं का पंजीकरण होने का लक्ष्य रखा गया।
- मॉडल 3 में 50 बालिकाओं हेतु एक छात्रावास रखने का प्रावधान किया गया है और जो किसी विद्यालय से संबंध होगा।

योजना की संपूर्ण लागत की व्यवस्था केन्द्र सरकार का है तथा संचालन राज्य सरकार करती है। इसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं। जिला का मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के उपाध्यक्ष तथा डायट के प्राचार्य इसके सदस्य एवं सचिव होते हैं। यह समिति जिले के स्वीकृत के.जी.बी.वी. का स्वयं अथवा किसी ऐसे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से संचालित कर सकती है। जिसे शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों का स्तर प्राप्त हो। इन विद्यालयों से संबंधित भूमि, भवन, उपकरण राज्य सरकार के स्वामित्व में होंगे जबकि स्वयंसेवी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगी।

बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में वर्तमान समय में कक्षा बारहवीं (10़2) तक की पढ़ाई हो रही है। सभी बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। बिहार में वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

प्रदान करने के लिए अब तक कुल 634 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इसमें ऐसे 534 विद्यालय हैं, जिनमें लड़कियों के लिए कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। कक्षा छह से आठ तक संचालित इन सभी विद्यालयों को इसी वर्ष प्लस-टू में अपग्रेड किया जाएगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे वाले, वंचित समूहों और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बालिकाओं को न सिर्फ कक्षा छह से बारहवीं तक की शिक्षा मिलेगी, बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। देश भर में 5,726 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं।

बालिकाओं को शिक्षा के साथ जुडो-कराटे, गीत-संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में संचालन व्यवस्था दुरुस्त करने तथा यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाली गरीब घर की बेटियों को तमाम सुविधाएँ मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए इन स्कूलों में औचक निरीक्षण होगा। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह के अंदर इन विद्यालयों की छात्राओं को देय सभी सुविधाएँ, पाठ्य-पुस्तक एवं खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निर्धारित क्षमता के अनुसार शत-प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति हो ऐसे उपाय किये जायेगे। सभी नामांकित बच्चों को करोना टीका की दोनों डोज देते हुए हेल्थ चेकअप करवाया भी जाएगा। साथ ही विद्यालयों में वार्डन, शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

सरकार की ओर से संशोधित नियमावली जारी की गयी है। इसके तहत अलग-अलग तरह के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के पद भी बढ़ाए गए हैं। यही नहीं, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में वार्डेन, शिक्षक का एक समान वेतन होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर नियमावली में बदलाव के तहत नियोजन किया जाएगा।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर निर्णय लिया है और नियोजन के लिए 2018 में बनी नियमावली में बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में जहाँ कक्षा छह से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वहां पाँच के स्थान पर छह शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन, छठे पद के लिए विषय निर्धारित नहीं कया गया था।

आज भी महिलाओं की साक्षरता दर काफी निम्न एवं सोचनीय है। पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर में काफी अन्तर देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार राज्य में ऐसा अधिक है। शिक्षा अभियान के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल नहीं किया गया। अभी भी बालिकाएँ स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो बालिकाएँ विद्यालयों में नामांकित है, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, स्थिति एवं परिणाम अच्छे नहीं है। क्या कारण हो सकता है? यह एक गंभीर चिंतन एवं सोचने का विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अनेकों आयोग एवं शिक्षा नीतियों का प्रावधान बनाए गए लेकिन बालिकाएँ शत प्रतिशत साक्षर एवं शिक्षित नहीं हो सकीं। शिक्षा में सुधार हेतु सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का उन्नयन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के विकास एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा हेतु आवासीय कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की है। लेकिन क्या ये विद्यालय काफी हद तक अपनी स्थापना के उद्देश्य अर्थात बालिकाओं के शैक्षिक उपलब्धि एवं विस्तार में तथा उनके जीवन दशा में अपेक्षित सुधार ला पा रहे है? क्या यह विद्यालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की बालिकाओं के शैक्षिक विस्तार में अहम भूमिका निभा पा रहे हैं? क्या कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की दशा में सुधार कर रहा है? क्या कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रावधानों एवं नियमों का पालन हो रहा है? ये सभी प्रश्न भारतीय समाज के लिए एक सोचनीय विषय है, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमे इन प्रश्नों का उतर ढूढ़ना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. अवस्थी, प्राची (2007-2008), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की दिशा एवं दशा-एक आलोचनात्मक अध्ययन, एम.फिल. शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. कुमार मयंक (2008), सर्व शिक्षा अभियान में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भूमिका एवं परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि से तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध एम. एड., शिक्षा शास्त्र संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ पृष्ट सं. 74, 75, 82, 84 ।
3. त्रिपाठी, बृजेन्द्र कुमार (2004), गोण्डा जनपद में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना की वर्तमान प्रस्थिति का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली पृष्ठ सं. 49-52
4. पाढ़ी सम्बित कुमार (2011), कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एक अध्ययन, संन्दर्भ (वैश्विक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य), वर्ष 1, अंक 1, नई दिल्ली, पृष्ट सं. 46-51।
5. त्रिपाठी शालिनी (2011-12), बालिका शिक्षा के उन्नयन में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध (एम.एड.), शिक्षण शिक्षा संकाय, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवां जमुनीपुर, इलाहाबाद, पृष्ट सं. 1-59।
6. जैन अनिल कुमार (2014), सीमान्त वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय की भूमिका का मूल्यांकन का अध्ययन, शोध पत्र, जर्नल, परिप्रेक्ष्य (शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक संदर्भ), वर्ष 1, अंक 2, राष्ट्रीय योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ. सं. 71-72।
7. जनगणना 2011 भारत सरकार, नयी दिल्ली
8. के.जी.बी.वी. एजुकेशन फॉर ऑल www.upefa.com

❖❖❖